

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला सागर

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, 17 बिन्दु मेन्युअल की जानकारी
वर्ष : (2011–12)**

बिन्दु क्रमांक :1 – विभाग का संक्षिप्त परिचय –

जिला शहरी विकाश अभिकरण जिला स्तर पर गठित एक पंजीकृत संस्था है। जिसका पंजीयन वर्ष 91–92 में कराया गया था जिसका पंजीयन क्रमांक 195 है। जिला शहरी विकास अभिकरण मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। यह विभाग की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी, है जो विभाग की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के साथ-साथ अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन जिले की नगरीय निकायों के माध्यम से कराती है। अभिकरण का उद्देश्य शहरी गरीबों को लाभकर रोजगार मुहैयॉ कराना है।

बिन्दु क्रमांक :2 – अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व –

वर्तमान में इस कार्यालय में निम्नानुसार कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं।

1. परियोजना अधिकारी,
2. निम्न श्रेणी लिपिक,
3. वाहन चालक

वाहन चालक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में संबद्ध में है। अभिकरण के कार्यों को निपटाने हेतु 1- निम्न श्रेणी लिपिक नगर परिषद बंडा से तथा 1, टाइपिस्ट नगर निगम सागर से अन्तरित किया जाकर कार्यों को कराया जाता है।

- (1) नगरीय निकायों में शहरी गरीबों के लिए संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन कराना है।
- (2) जिले की नगरीय निकायों में मुख्य मंत्री, हाथठेला/साइकिल रिक्सा चालक कल्याण योजना व मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना का क्रियान्वयन कराना।
- (3) वरिष्ठालय द्वारा समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों व कृत्यों का निर्वाह करना।

बिन्दु क्रमांक :3 – निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और दायित्व –

1. स्थापना शाखा
2. लेख शाखा
3. योजना शाखा
4. आवक जावक शाखा

बिन्दु क्रमांक :4 – कर्तव्य निष्पादन के प्रतिमान –

(अ) प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार–

क्र .	नाम	पदनाम	अधिकार
1	डॉ. ई. रमेश कुमार	जिला कलेक्टर सागर	प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी
2	आर.एस. मंडलोई	परियोजना अधिकारी	- / / -

(ब) अन्य अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार –

क्र .	नाम	पदनाम	अधिकार
1	श्री यूनिस खान	सहायक वर्ग –3	सूचना के अधिकार के तहत कार्य करना

बिन्दु क्रमांक :5 – धारित अधिनियमों, नियमों, दिशा निर्देश जिनका उपयोग कार्यालयीन कार्य के निष्पादन में किया जाता है –

म. प्र. शासन के समय-समय पर प्रकाशित मेनुअल नियम निर्देशों, दिशा निर्देशों का अवलोकन कर कर्यों का निराकरण किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक :6 – अभिलेखों की जानकारी /वर्गीकरण –

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल से प्राप्त नियम निर्देशों व आबंटन के संबंध में निकायों को स्वीकृति प्रदान कराना व राशि उपलब्ध कराना आदि से संबंधित दस्तावेजों व अभिलेखों का संधारण किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक :7 – नीति निर्धारण संबंधी समितियों, बोर्ड, परिषद एवं निकायों का विवरण जिनमें अशासकीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो –

नीति निर्धारण, संबंधित समितियाँ, बोर्ड, परिषद, कार्यरत नहीं हैं । अभिकरण में शासकीय/अशासकीय सदस्यों की शासीं निकाय कार्यरत हैं/शासीं निकाय के सदस्यों का प्रभारी मंत्री, महोदय द्वारा मनोनयन किया जाता है, वर्तमान में तीन अशासकीय सदस्य मनोनीत हैं ।

1. प्रशांत जैन – सागर
2. श्रीमति मंजू सतभैया – मालथौंन
3. विष्णु खटीक – सागर

बिन्दु क्रमांक :8 – उन समितियों के कार्यवाही विवरण जो सार्वजनिक नहीं किये जाते हैं ।

इस कार्यालय में इस प्रकार की कोई समिति संचालित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक :9 – विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और पदों की सूची –

क्र .	नाम	पदनाम
1	डॉ. ई. रमेश कुमार	कलेक्टर
2	श्री आर.एस. मण्डलोई	परियोजना अधिकारी
3	श्री यूनिस खान	निम्न श्रेणी लिपिक
4	श्री रामप्रसाद अहिरवार	वाहन चालक

5	श्रीमति कल्पना श्रीवास्तव	सामुदायिक संगठक
6	श्रीमति रज्जी गंधा	- / / -
7	श्रीमति ऊषा गोस्वामी	- / / -
8	श्रीमति अनीसा कुरैसी	- / / -
9	श्रीमति राधा खटीक	- / / -
10	कु. हेमलता चौबे	- / / -
11	श्रीमति ममता जैन	- / / -
12	श्रीमति स्वशांति	- / / -
13	श्रीमति शशि सोनी	- / / -
14	श्रीमति कामना श्रीवास्तव	- / / -

टीपः— 1. कर्मचारी नगर परिषद बंडा व दो कर्मचारी नगर निगम सागर से अन्तरित किये जा कर कार्यों को कराया जा रहा है ।

बिन्दु कमांक :10 — अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान परिश्रमिक की जानकारी —

क्र.	पदनाम	वेतनमान

1	परियोजना अधिकारी	15600—39100+5400
2	सहायक वर्ग—3	5200—20200+2100
3	वाहनचालक	5200—20200+2100
4	सामूदायिक संगठक (निकायों हेतु संविदा आधार पर)	45000 /— प्रतिवर्ष मानदेय

बिन्दु क्रमांक :11 — बजट आवंटन एवं व्यय का व्यौरा वित्तीय वर्ष 2011—12

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

1. कुल उपलब्ध राशि — 72.81
2. कुल व्यय राशि — 15.94
3. शेष राशि — 56.87

(2) हाथठेला/साइकिल रिक्सा कल्याण योजना —

1. उपलब्ध राशि — 16.10 लाख
2. व्यय राशि — निल
3. शेष राशि — 16.10 लाख

(3) घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना —

1. उपलब्ध राशि — निल
2. व्यय राशि — निल
3. शेष राशि — 5.14 लाख

दिनांक 30/06/2011 तक की स्थिति में ।

बिन्दु क्रमांक :12 — अनुदान कार्यक्रम एवं हितग्राही —

एस.जे.एस.वाय (यूसेफ) कार्यक्रम में बैंकों को अनुदान राशि प्रदान की जाती है ।

1. हितग्राहियों की संख्या — 45
2. अनुदान राशि — 9.12

बिन्दु क्रमांक :13 – हितग्राही एवं रियायत की प्रकृति –

“निरंक”

बिन्दु क्रमांक :14 – इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकने वाली सूचनाओं की जानकारी

—

“निरंक”

बिन्दु क्रमांक :15 – सर्व साधारण को सूचनाओं की जानकारी –

म.प्र. शासन द्वारा जानकारी सर्व हेतु वाचनालय इस कार्यालय में उपलब्ध

नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक :16 – लोक सूचना अधिकारी के संबंध में जानकारी –

1. लोक सूचना अधिकारी श्री –

आर.एस. मण्डलोई

परियोजना अधिकारी

मो. 9425435960

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री –श्री यूनिस खान

सहायक वर्ग –3

मो. 9827141382

बिन्दु क्रमांक :17 – अन्य कोई सूचना –

“निरंक”

परियोजना अधिकारी

जिला शहरी विकास अधिकरण

सागर